भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3572

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसान सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत किसानों का वर्गीकरण

3572. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि योग्य भूमि के आधार पर सीमांत, लघु, मध्यम और बड़े काश्तकारों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;
(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में राज्य-वार कितने किसान हैं;
(ग) क्या किसान सम्मान पेंशन योजना सभी श्रेणी के किसानों पर लागू होती है;
(घ) क्या सरकार की कल्याणकारी योजनाएं श्रेणीबद्ध किसानों के लिए अलग-अलग हैं अथवा क्या सभी सरकारी योजनाएं सभी किसानों के लिए समान रूप से कार्यान्वित की जाती हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, *प्रचालनात्मक जोतों को भूमि जोतों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

श्रेणी	आकार-वर्ग
सीमांत	1.00 हेक्ट. से कम
लघु	1.00 - 2.00 हेक्ट.
अर्ध - मध्यम	2.00 - 4.00 हेक्ट.
मध्यम	4.00 - 10.00 हेक्ट.
बड़ी	10.00 हेक्ट. और इससे ज्यादा

*प्रचालनात्मक जोतों को उन सभी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग कृषि उत्पादन के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जाता है और एक तकनीकी इकाई के रूप में अकेले एक व्यक्ति द्वारा या दूसरों के साथ शीर्षक, कानूनी रूप, आकार या स्थान की परवाह किए बिना प्रचालित किया जाता है।

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम और बड़ी प्रचालनात्मक जोतों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भूमिधारक छोटे और सीमांत किसान लाभ पाने के लिए पात्र हैं, जिन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, जो कुछ अपवर्जन मानदंडों के अध्यधीन है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में प्रवेश करने वाले किसानों की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान प्रदान करती है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

(घ) एवं (ड.): सरकार ने देश में किसानों की सहायता करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), ब्याज छूट योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के किसानों को सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के पात्रता मानदंड एक योजना से दूसरी योजना में भिन्न-भिन्न होते हैं और सभी योजनाओं को उनके अनुमोदित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी किसानों के लिए समान रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

लो.स.अता.प्र.सं.3572

अनुबंध

कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार अनुमानित प्रचालनात्मक जोतों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण							
							('000 संख्या में)
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सीमांत**	**लघु**	**अर्ध-मध्यम**	**मध्यम**	**बड़ी**	**सभी आकार समूह**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	3	3	1	नगण्य	12
2	आंध्र प्रदेश	5,904	1,646	770	189	15	8,524
3	अरुणाचल प्रदेश	27	24	29	26	7	113
4	असम	1,868	495	295	79	4	2,742
5	बिहार	14,971	944	414	81	3	16,413
6	चंडीगढ़	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	1
7	छत्तीसगढ	2,434	879	493	181	23	4,011
8	दादरा व नगर हवेली	9	4	2	1	नगण्य	15
9	दमन और दीव	7	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	8
10	दिल्ली	11	5	3	1	नगण्य	21
11	गोवा	59	8	4	2	1	75
12	गुजरात	2,019	1,616	1,150	496	40	5,321
13	हरियाणा	802	314	278	192	41	1,628
14	हिमाचल प्रदेश	712	173	82	26	3	997
15	जम्मू एवं कश्मीर	1,187	160	58	11	1	1,417
16	झारखंड	1,962	419	277	126	20	2,803
17	कर्नाटक	4,767	2,214	1,193	451	56	8,681
18	केरल	7,333	181	56	11	2	7,583
19	लक्षद्वीप	10	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	10
20	मध्य प्रदेश	4,835	2,725	1,674	707	63	10,003
21	महाराष्ट्र	7,816	4,339	2,327	734	70	15,285
22	मणिपुर	77	49	22	3	नगण्य	150
23	मेघालय	123	60	40	9	नगण्य	232
24	मिजोरम	45	27	14	3	नगण्य	90
25	नागालैंड	8	30	63	74	21	197
26	ओडिशा	3,637	887	287	51	4	4,866
27	पुदुचेरी	28	3	2	नगण्य	नगण्य	34
28	पंजाब	154	207	368	305	58	1,093
29	राजस्थान	3,071	1,677	1,416	1,131	359	7,655
30	सिक्किम	44	13	11	4	नगण्य	72
31	तमिलनाडु	6,224	1,119	452	128	15	7,938
32	तेलंगाना	3,840	1,409	564	126	9	5,948
33	त्रिपुरा	504	48	19	2	नगण्य	573
34	उत्तर प्रदेश	19,100	3,008	1,314	377	23	23,822
35	उत्तराखंड	659	149	58	14	1	881
36	पश्चिम बंगाल	5,998	971	256	18	1	7,243
	अखिल भारतीय	**1,00,251**	**25,809**	**13,993**	**5,561**	**838**	**1,46,454**
नोट - *प्रचालनात्मक जोत की संख्या <500 के लिए नगण्य,* ***स्रोत:*** *कृषि संगणना 2015-16*							

*****